(45)

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समक्ष

आर.के. मिश्रा

सदस्य

प्रकरण कमांक 3024/III/निगरानी/17 विरूद्ध आदेश अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा दिनांक 26/08/2017 प्रकरण कमांक 1177/ अपील/ 2016–17

1. सुखलाल तनय पन्नू साहू
2. रामलल्लू तनय तिलक साहू
3. जनक तनय सुखदेव साहू
4. समयलाल तनय चन्नू साहू
5. कालीचरण तनय चन्नू साहू
6. रामपियारे तनय तपेश्वर साहू
7. रामकेष तनय तपेश्वर साहू
8. रामप्रसाद तनय रामाधीन साहू

सभी निवासी ग्राम देवरा, तहसील व जिला सिंगरौली (म0प्र0)

.....आवेदकगण

बनाम

1. बुद्धलाल तनय रामखेलावन साहू
2. सुमेश्वर तनय रामखेलावन साहू
3. श्रीमती रिधुली पत्नी हीरालाल
4. पवन कुमार तनय हीरा लाल
5. रामचरित तनय रामभरोसा
6. लालजी तनय नेतलाल साहू
7. रूकमिनिया पुत्री नेतलाल साहू

8. मुनिया पुत्री नेतलाल साहू
9. मानवती पुत्री नेतलाल साहू
10. विट्टी पुत्री नेतलाल साहू
11. मुकुरी पुत्री नेतलाल साहू

सभी निवासी ग्राम देवरा, तहसील व जिला सिंगरौली (म0प्र0)

.....अनावेदकगण

(श्री संतोष कुमार रत्नमाला अधिवक्ता आवेदकगण)

(श्री आर0डी0 कुशवाहा अधिवक्ता अनावेदकगण)

: आदेश :

(दिनांक 31/8/18 को पारित)

म0प्र0 भू–राजस्व संहिता जिसे संक्षेप में संहिता लिखा जायेगा कि धारा 50 के अधीन पुनरीक्षण अपर कमिश्नर रीवा के प्रकरण कमांक 1177/ अपील/ 2016 –17 के विरूद्ध दायर की गई है।

2. संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि अनावेदक बुद्धलाल वगैरह ने नामांतरण पंजी कमांक 13 में पारित आदेश दिनांक 17/01/1992 के द्वारा संबंधित भूमि खसरा नं. 1548 रकवा 1.267 हे. स्थित ग्राम गनियारी तहसील व जिला सिंगरौली (म0प्र0) जिसके भूमि स्वामी रामभरोसा, नेतलाल, पिता बल्देव, बुद्धलाल, सुमेश्वर, हीरालाल तनय रामखेलावन थे। हीरालाल की मृत्यु के उपरांत गलत नामांतरण कराया। वारिसाना नामांतरण गलत वंशवृक्ष देकर प्रमाणित किए जाने का आधार वर्णित करके अनावेदक ने उसके निरस्त करने हेतु अपील अनुविभागीय अधिकारी के न्यायालय में दायर किया था। अनुविभागीय अधिकारी ने सुनवाई उपरांत कथित वारिसाना नामांतरण संबंधी गलत वंश वृक्ष देकर नामांतरण प्रमाणित कराये जाने के कारण उक्त नामांतरण आदेश दिनांक 23/06/2017 को निरस्त करते हुए मुताबिक सही वंशवृक्ष वारिसाना नामांतरण प्रमाणित करने का आदेश दिया।

उक्त आदेश से व्यथित होकर निगरानीकर्तागणों ने अपर कमिश्नर रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में अपील दायर किया जो दिनांक 26/08/2017 को उभयपक्षों की सुनवाई उपरांत अपील निरस्त की गई तथा अनुविभागीय अधिकारी का आदेश दिनांक 26/08/2018 कायम रखा गया। जिसके विरूद्ध निगरानीकर्तागण द्वारा इस न्यायालय में निगरानी दायर की गई है।

4. निगरानी पंजीबद्ध की गई अधिनस्थ न्यायालयों से अभिलेख तलब किये गये नामांतरण पंजी कमांक 13 की प्रविष्टि का अवलोकन किया गया तथा उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने गये।

5. निगरानीकर्ता की तरफ से निगरानी में जो बिन्दु वर्णित है संक्षेप में मुख्यतः उन्हीं तथ्यों पर ध्यानाकर्षण कराया गया निगरानीकर्ता की तरफ से मुख्य रूप से यह बिन्दु उठाया गया कि नामांतरण पंजी कमांक 13 के द्वारा दिनांक 17/01/1992 को वारिशाना नामांतरण का आदेश नहीं हुआ है वरन बंटवारा/नामांतरण का आदेश हुआ है। नामांतरण में अनावेदकगणों की सहमति थी ऐसी स्थिति में अपीलीय न्यायालय ने जो नामांतरण का आदेश रद्द किया वह अवैधानिक था। यह भी तर्क दिया गया कि नामांतरण पंजी में बुद्धलाल तनय रामखेलावन एवं लालजी तनय नेतलाल का कथन होना ऐसा लेख है कि– "हम लोग लिखा कर मान्य किया है कि दुलेश्र फौत है दुलेश्वर मृतक के वारिश उपरोक्त सजरा खानदानी सही है, पट्टेदार सजरा मुताबिक काबिज है" तद्नुसार नामांतरण आदेश सही था। अपील अवधि वाह्य थी इस तरह इसी बिन्दु पर अपील निरस्त कर देना चाहिये था जो कि दोनों अपीलीय न्यायालयों ने उक्त बिन्दु पर न्यायिक निर्णय नहीं दिया।

6. अनावेदक की तरफ से यह तर्क दिया गया कि वारिसाना नामांतरण को मृतक के वारिसान के नाम ही होता है। गलत वंशवृक्ष देकर जो नामांतरण पंजी में हिस्सा बंटवारा में भूमि प्राप्त करना गलत तौर पर उल्लिखित कराकर

प्रमाणित कराया गया वह अवैधानिक व अधिकार विहीन था। क्योंकि वारिशाना नामांतरण में तो मृतक के स्थान पर उसके वारिसों का नाम दर्ज होने की व्यवस्था है। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि नामांतरण पंजी के द्वारा खाता बंटवारा करने की कानूनी व्यवस्था नहीं है। क्योंकि संहिता की धारा 178 के अधीन तो तहसीलदार के समक्ष सहखातेदारों द्वारा खाता बंटवारा का आवेदन प्रस्तुत होने पर स्वत्वानुसार खाता बंटवारा की व्यवस्था है। नामांतरण पंजी के द्वारा नहीं । इस संदर्भ में **न्याय दृष्ट्रांत 1985 राजस्व निर्णय पृष्ठ 30 की विधि व्यवस्था पर** ध्यानाकर्षण किया गया। साथ ही यह भी तर्क दिया गया कि निगरानीकर्ता के नाम पर नामांतरण करने के लिए अनावेदक की तरफ से कोई सहमति नहीं दी गई और वयान भी नहीं दिया गया तद्नुसार पटवारी ने जो जैसा भी काल्पनिक प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया उसकी पुष्टिकरण का नामांतरण पंजी में पारित कथित आदेश अवैधानिक व अधिकार विहीन था, जिसे चुनौती देने के लिए कोई भी समय सीमा की बाधा नहीं थी।

7. उभयपक्षों के तर्कों के आलोक में मुख्य विचारणीय बिन्दु यह है कि नामांतरण पंजी कमांक 13 के द्वारा जो नामांतरण प्रमाणित किया गया वह वास्तव में क्या विधिकतौर पर नामांतरण का आदेश है अथवा कि खाता बंटवारा का आदेश है, क्योंकि संहिता की धारा 109/110 में नामांतरण के लिए अलग नियम बने है और धारा 178 के अधीन खाता बंटवारा के अलग नियम है। वास्तव में वारिशाना नामांतरण हेतु ही आदेश पारित होना दर्शित होता है। पंजी के अंतिम कालम में स्पष्ट लेख है कि–''पक्षकार उपस्थित फौती तस्दीक किया , आपत्ति प्राप्त नहीं प्रमाणित है''। इस तरह निगरानीकर्ता के अधिवक्ता द्वारा तर्क में उठाये गये बिन्दु पूर्णतः गलत व असंगत है। विशेष रूप से वारिसाना नामांतरण जहां मृतक के स्थान पर उसके उत्तराधिकारियों के नाम प्रमाणित किया जाना आपेक्षित होता है वह यह तस्दीक होना चाहिये कि मृतक के वारिसान कौन है।

संबंधित भूमि खसरा नं. 1548 भूमि स्व. रामभरोसा, रामखेलावन व नेतलाल के नाम बहिस्सा बराबर दर्ज थी इस प्रकरण में भी खसरा वर्ष 1956–57 से 1960–61 की प्रविष्टि प्रस्तुत है। उसमें भी यही दर्शित है कि निगरानीकर्तागण उक्त अभिलिखत भूमि स्वामी के वारिश ही नहीं है तद्नुसार उनके नाम पर जो नामांतरण पंजी कमांक 13 के द्वारा गलत वारिसाना वंशवृक्ष का विवरण देकर नामांतरण प्रमाणित किया गया वह अवैधानिक व अधिकार विहीन था। जो सभी बिन्दुओं पर विस्तार से दोनों अपीलीय न्यायालयों ने समवर्ती निर्णय व निष्कर्ष दिया है। जिसमें हस्ताक्षेप का कतई कोई भी आधार नहीं है। जहां तक नामांतरण पंजी में वर्णित इस बिन्दु का प्रश्न है कि किसी ने आपत्ति नामांतरण प्रमाणीकरण में नहीं किया। वास्तव में नामांतरण नियमों के अनुसार इस्तहार जारी होने, हितबद्ध व्यक्ति को सूचना देने व नामांतरण नियमों का पालन करने का न तो कोई प्रमाण है और न पंजी में ही ऐसा वर्णित है। तो स्वाभाविकतौर पर नामांतरण प्रमाणीकरण में आपत्ति तब होती जब उक्त प्रक्रिया का पालन होता। इस बिन्दु **पर 1999 राजस्व निर्णय पृष्ठ 401 की व्यवस्था अनुकरणीय है।** तद्नुसार दोनों अपीलीय न्यायालयों ने विस्तार से सभी बिन्दुओं पर विचार करके जो आदेश पारित किया है उसमें हस्ताक्षेप का कतई कोई आधार नहीं है।

अतएव निगरानी बलहीन होने से निरस्त की जाती है। पक्षकार सूचित हों, पत्रावली आदेश की प्रति के साथ वापस हो।

31/8/18

(आर0के0 मिश्रा)

सदस्य

म0प्र0 राजस्व मंडल